कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 310 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 27-8- 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 901 / 2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट – पय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/67274 /2020.

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 20 / 2022 / एफ0सी0 / 1807 दिनांक 30.03.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 674 / 12–1 दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः– 674 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18 जुलाई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या–901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट–पय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से किमी0 16.40 तक चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रर्त्यावतन किऐ जाने के सम्बन्ध में।(Online No. FP/UK/ROAD/67274/2020)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाश रोड देहरादून की फाइल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2022/एफ0सी0/1807 दिनांक 30/03/2022 प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1019/13सी0 दिनांक 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क0 सं0	लगाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक रूप से नही प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार दोनों ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा इस कार्याल में प्रेषित करने का कष्ट करें।	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक कर दिया गया है, एवं दोनों ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा अंकित कर दिया गया है।
2	आनलाईन पोर्टल के पैरा B2.4 component wise break up में प्रस्ताव में सम्मिलित bridge construction का जिक्र नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार पैरा B2.4 component wise break up में पुल निर्माण अंकित करनेका कष्ट करें।	उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई कुल लम्बाई 16.400 है मार्ग के किमी0 7.00 में 30.00 मी0 स्पान का स्टील गर्डर सेतु निर्मित है परन्तु प्रस्तावित मार्ग 9.400 से 16.400 तक कुल 7.00 किमी0 लम्बाई में LVR से मोटर मार्ग में परिर्वतन प्रस्तावित है। मार्ग के इस प्रभाग में कोई भी पुल प्रस्तावित नही है। न ही इस प्रभाग में कोई सेतु पूर्व निर्मित है।
3	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित नही किया गया है केवल लाभान्वित गांवों को ही दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित Alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्षित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रत्यावर्तन मौजूदा मार्ग के widening से सम्बन्धित है किन्तु मार्ग निर्माण हेतु दिये गये औचित्य से यह स्पष्ट नही होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित प्रस्ताव हेतु ऑनलाइन पैरा D(i) पर सही औचित्य अपलोड करने का कष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव मौजूदा मार्ग के चौड़ीकरण से सम्बन्धित है। मार्ग निर्माण हेतु औचित्य में भी स्पष्ट कर दिया गया है व ऑनलाइन पैरा D(i) पर सही औचित्य अपलोड कर दिया गया है।

5	अमुख प्रस्ताव से यह स्पष्ट नही है कि पूर्व निर्मित मार्ग का निर्माण क्या 1980 से पूर्व किया गया था यदि हो तो राज्य सरकार इस संदर्भ में उपयुक्त प्रमाण पत्र जैसा कि गाइड लाइन पैरा 1.13 में वर्णित है। प्रेशित करेगी यदि मार्ग जो पूर्व निर्मित है कि लिए कोई एफ.सी.ए. 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदन ली गयी हो तो स्पष्ट कर इस कार्यालय में प्रेशित करनें का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग का निर्माण वर्ष 1980 के पश्चात् वर्ष 1996 में हुआ है। इसलिए इस सन्दर्भ मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नही है। पूर्व में हल्का वाहन मार्ग निर्मित है जिसकी चौड़ाई 4.25 मी0 हैं। उक्त मार्ग हेतु पूर्व में F.C.A.1980 के तहत स्वीकृति नही ली गयी है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की कुल चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी है। जिसके अन्तर्गत पूर्व में 4.25 मी0 की उपलब्ध चौड़ाई को भी सम्मिलित किया गया है।
6	प्रस्ताव में प्रस्तावित चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है किन्तु यह स्पष्ट नही है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अथवा चाही जा रही चौड़ाई पूर्व चौड़ाई के अतिरिक्त है। सम्पूर्ण जानकारी को चैनेज वाइज विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है जिसमें पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौड़ाई को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व निर्मित मार्ग को जोड़कर पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी0 (चैनेज 9.400 से 16.400) में प्रस्ताव तैयार किये गये है।
7	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भरा नही गया है। राज्य सरकार Employment Details को para E(iii) सही रूप से अंकित करने का कष्ट करें।	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भर करअंकित कर दिया गया है।
8	राज्य सरकार एन.पी.वी. गणना संशोधित रेट पर दिनांक 06/01/2022 के अधार पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करनें का कष्ट करें।	संशोधित एन0पी0वी0 की गणना कर प्रपत्र संलग्न है।
9	मलवा निस्तारण हेतु गैर वन भूमि का चयन नही किया गया है। साथ ही मलवानिस्तारण भूमि पर enumeration detail प्रेशित करने का कष्ट करें। साथ ही मलवानिस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही नही की गयी हैं तथा कुल गणना में 11832 cum मलवा निस्तारण दर्शित नही है। आपसे अनुरोध है कि सही गणनित मलवामिस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण हेतु वन भूमि का चयन किया गया है, साथ ही मलवानिस्तारण भूमि पर enumeration detail प्रेशित कर दिया गया है तथा मलवानिस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही कर दिया गया है।
10	सी0ए0 क्षेत्र में के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच नही हो रहा है। अतः राज्य सरकार सी.ए. क्षेत्र में के.एम.एल फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कश्ट करें साथ ही कुल भूमि में से 4.0 हे0 क्षेत्र MDF आ रहा है जिसका राज्य सरकार पुनर्वलोकन कर संशोधित करने का कष्ट करें।	सी0ए0 क्षेत्र का के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच कर दिया गया है। साथ ही कुल भूमि में से 4.0 हे0 क्षेत्र MDF आ रहा है जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।